भारत सरकार/ GOVT OF INDIA
सीमाशुल्क आयुक्त (एन एस –V) का कार्यालय,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (NS- V)
सीमाशुल्क मुंबई अंचल II , जवाहरलाल नेहरू सीमाशुल्क भवन
MUMBAI CUSTOMS, ZONE II, JAWAHARLAL NEHRU CUSTOM HOUSE,
न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगड , महाराष्ट्र/Nhava Sheva, Uran, Raigad, Maharashtra – 400707

सीमाशुल्क मुंबई, अंचल- II, एन एस -V आयुक्तालय की
-: जनवरी-मार्च 2026 तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त :-

सीमाशुल्क आयुक्तालय (एनएस -V), न्हावा शेवा की चौथी तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक दिनांक 20.02.2026 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गई। एनएस -V कार्यालय के निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित थे ।

क्रम संख्या	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम / Designation
1.	अनिल रामटेके	आयुक्त, सीमाशुल्क (एनएस-V)
2.	सतीश कुमार	अपर आयुक्त, सीमाशुल्क
3.	माजिद खान	अपर आयुक्त, सीमाशुल्क
4.	ओम प्रकाश तिवारी	उप आयुक्त, सीमाशुल्क
5.	कुमार भरोसा नंदन	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क
6.	रूप सिंह मीना	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क
7.	जी वी एस एस शर्मा	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क
8.	डॉ. पूर्णिमा मिश्रा	रसायन परीक्षक ग्रेड-I
9.	गौतम भाई पटेल	अधीक्षक
10.	हरीश कुमार	अधीक्षक
11.	विजय कुमार मिंज	अधीक्षक
12.	खत्री अताऊल्लाह गुलाम रसूल	अधीक्षक
13.	मनदीप चौधरी	मूल्यांकक
14.	जगन प्रीत	मूल्यांकक
15.	बसंत कुमार दादरवाल	मूल्यांकक
16.	सुमित दहिया	मूल्यांकक
17.	अमृत कुमार	मूल्यांकक
18.	रुचि मिश्रा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
19.	टीना छाबड़ा	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी एवं सदस्य सचिव

सदस्य सचिव द्वारा उपस्थित अध्यक्ष महोदय एवं समिति के सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अनुमति के साथ बैठक की कार्रवाई आरंभ की गई ।

<u>पिछली बैठक (18.11.2025) में लिए गए निर्णयों की अनुपालन स्थिति :-</u>

1. **फ़ाइलों के संचालन हेतु राजभाषा चैनल का निर्माण:-** नए चैनल के अनुसार ई-फ़ाइलें सहायक आयुक्त (राजभाषा), एनएस-जनरल से होते हुए अपर आयुक्त (राजभाषा अधिकारी) एनएस-V के उपरांत आयुक्त महोदय, एनएस-V को प्रेषित की जाती है। (कार्रवाई पूर्ण)

2. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन एवं राजभाषा अधिकारी का नामांकन:-** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एनएस-V आयुक्तालय की नवीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया एवं अपर आयुक्त, एनएस-V को राजभाषा अधिकारी नामित किया गया। (कार्रवाई पूर्ण)

3. हिन्दी पुस्तकों की खरीद:-हिन्दी अनुभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित हिन्दी भाषा की श्रेष्ठ पुस्तकों की खरीद की गई और इसकी सूचना के संबंध में एक परिपत्र सभी अनुभागों को प्रेषित किया गया। (कार्रवाई पूर्ण)

4. हिन्दी कार्यशाला का आयोजन:- अधिकारियों को राजभाषा हिन्दी से संबंधित प्रावधानों से परिचित करवाने एवं प्रशिक्षित करने हेतु अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में हिन्दी अनुभाग द्वारा एक संयुक्त हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एनएस-V आयुक्तालय से 04 अधिकारियों ने भाग लिया। (कार्रवाई पूर्ण)

5. राजभाषा संपर्क अधिकारी का नामांकन:- एनएस-V आयुक्तालय के सभी अनुभागों के एडमिन अधिकारियों को राजभाषा संपर्क अधिकारी नामित किया गया। इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया गया। (कार्रवाई पूर्ण)

दिनांक 20.02.2026 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय :-

1. **हिन्दी तिमाही प्रगति रिपोर्ट का तुलनात्मक अध्ययन:-** बैठक में विगत दो तिमाहियों की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई एवं हिन्दी का कार्य प्रतिशत बढ़ाने के लिए किये जाने वाले प्रयासों का सुझाव दिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी अनुभाग (ग्रुप्स सहित) हिन्दी तिमाही रिपोर्ट अनिवार्य रूप से समय पर हिन्दी अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(सूचनार्थ - सभी अनुभाग, एनएस-V)**

2. **हिन्दी में पत्राचार हेतु द्विभाषी प्रारूप:-** बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि धारा 3(3) के सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाए। इसके अतिरिक्त नेमी प्रवृत्ति के कार्यों के द्विभाषी प्रारूप तैयार किए जाएँ और उनके प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए जिससे पत्राचार के प्रतिशत में सुधार किया जा सके। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अनुभागों को यह भी निर्देश दिए गए कि पत्राचार के सभी दस्तावेजों के प्रारूप हिन्दी अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाएँ जिससे उनका द्विभाषीकरण किया जा सके। **(कार्रवाई : हिन्दी अनुभाग, सभी अनुभाग एनएस-V)**

3. **राजभाषा आंतरिक निरीक्षण एवं राजभाषा रोस्टर का निर्माण:-** समिति को इस तिमाही के दौरान राजभाषा आंतरिक निरीक्षण संबंधी सूचना दी गई। इस दौरान संबंधित अनुभागों में हिन्दी टिप्पण, हिन्दी पत्राचार आदि संबंधी जानकारी प्रदान की गई एवं कंप्यूटर हिन्दी टाइपिंग आदि संबंधी डेस्क प्रशिक्षण दिया गया। सभी कंप्यूटर में यूनिकोड आधारित हिन्दी टंकण की सुविधा प्रदान की गई जिसके प्रयोग से हिन्दी टिप्पणी का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी अनुभाग से रबड़ स्टाम्प के सैम्पल लिए गए, इनको द्विभाषी करने का कार्य अभी जारी है। समिति को सूचित किया गया कि राजभाषा रोस्टर का भी निर्माण किया जाना है जिससे अधिकारियों के हिन्दी का ज्ञान (कार्यसाधक एवं प्रवीण) की जानकारी प्राप्त की जा सके। **(कार्रवाई : हिन्दी अनुभाग)**

4. **सीबीआईसी के अधीनस्थ सभी आयुक्तालयों को उनके निकटतम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) कार्यालयों में सदस्यता ग्रहण करने से संबंधित:-** समिति को सूचित किया गया कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) का सदस्य होना अनिवार्य है। सूचना दी गई कि हाल

ही में इस संबंध में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग एवं डीजीपीएम, नई दिल्ली से भी पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सभी मुख्य आयुक्तों/आयुक्तों/महानिदेशकों या समकक्ष अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में सभी कार्यालय नराकास में सदस्यता प्राप्त करें एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नराकास की बैठकों में कार्यालय अध्यक्ष प्रयोज्य निर्देशानुसार भाग लें। अध्यक्ष महोदय द्वारा नराकास में सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति दी गई एवं इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

(कार्रवाई : हिन्दी अनुभाग)

5. **जनवरी-मार्च तिमाही में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन:-** बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा जनवरी-मार्च तिमाही में आयोजित होने वाली कार्यशाला से संबंधित आदेश दिए गए कि कार्यशाला हेतु नामांकन संबंधित अनुभाग के सहायक आयुक्त द्वारा दिया जाएगा जिससे कि कार्यशाला में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। **(कार्रवाई : हिन्दी अनुभाग)**

6. **अन्य मुद्दे/सुझाव:-** (i) अध्यक्ष महोदय ने ई-ऑफिस में होने वाले डिजिटल हस्ताक्षर को भी द्विभाषी करने का आदेश दिया जिसके संदर्भ में एक पत्र संबंधित कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

   (ii) सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि राजभाषा कार्यान्वयन में अनुभागों द्वारा वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तिमाही रिपोर्ट का निर्माण किया जाना चाहिए इसलिए प्रत्येक अनुभाग एक मास्टर फाइल का निर्माण करे जिसमें सभी जारी दस्तावेजों की प्रति निहित हो। आयुक्त महोदय ने इस पर सहमति व्यक्त की।

बैठक में अन्य कोई विषय शेष न होने के कारण अध्यक्ष महोदय तथा सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए बैठक दोपहर 12:40 बजे सम्पन्न हुई ।

Digitally signed by
Mazid Khan
Date: 25-02-2026
11:24:46

माजिद खान
(अपर आयुक्त, सीमाशुल्क)